न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/40/2019

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र निवासी–ग्राम व पोस्ट–कारोडा, तहसील–बहरोड जिला–अलवर (राज.)–301020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि 07.06.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 03.07.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.05.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांकः 26.04.19 को प्रस्तुत प्रा0पत्र पर की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 01.05.2019 में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.06.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2019/777–78 दिनांकः – के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 01.05.19 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः 573 दिनांकः 14.05.19 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया गया है जिसके अनुसार वांछित सूचना संबंधी शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 26.04.19 अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को संबोधित किए जाने व प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने के कारण सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर कार्यालय से ही प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। उक्त सूचना पत्र का वर्णांकन अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांकः 03.06.19 में भी किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

10. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत विशिष्टीपूर्ण आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को ही किया जाना आवश्यक है। **प्रार्थना–पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर सूचना की वांछा किया जाना उक्त अधिनियम अंतर्गत कवर नहीं होता है।**

11. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है।

12. प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

14. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)